संत कवि बाबा बैजनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

हरख, बाराबंकी (उ0प्र0)

(डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से सम्बद्ध)

ऑनलाइन प्रवेश हेतु निर्देशिका

सत्र 2025–26

वेबसाइट	–	**https://gdcharakh.in/**
ई–मेल आई0डी0	–	**skbbadmission@gmail.com**
एडमिशन पोर्टल	–	**https://gpgchb.mycms.in/**

(प्रवेश सम्बन्धित सूचना एवं नोटिस हेतु प्रवेशार्थी महाविद्यालय की वेबसाइट को समय–समय पर अनिवार्य रूप से देखते रहें।)

परिचय

सन्त कवि बाबा बैजनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरख, बाराबंकी मुख्यालय से 10 किमी. की दूरी पर बाराबंकी-हैदरगढ़ मार्ग पर स्थित है। महाविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा असेवित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रसार की राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 1994-95 में की गयी। महाविद्यालय का नामकरण वर्ष 2002 में स्थानीय प्रख्यात सन्त एवं तत्कालीन कवि बाबा बैजनाथ के नाम पर किया गया। महाविद्यालय 16 एकड़ भू-भाग में स्थापित है, जिसमें महाविद्यालय का विशाल भवन स्थित है। महाविद्यालय के भवन में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 5 प्रयोगशालाएँ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं प्राणि विज्ञान विषयों हेतु उपलब्ध हैं। प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त क्रीड़ा, वाचनालय, पुस्तकालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स-रेन्जर्स तथा छात्र/छात्राओं की विभिन्न गतिविधियों हेतु भी कक्ष विद्यमान हैं। क्रीडा हेतु चारों ओर से सी.सी. रोड द्वारा घिरा हुआ एक विशाल मैदान भी है, जिसमें छात्र/छात्राएँ विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का अभ्यास कर सकते हैं। महाविद्यालय का अन्तः तथा वाह्य परिसर सुन्दर पुष्पों से सुसज्जित है। शासन से रूसा द्वारा प्राप्त अनुदान से महाविद्यालय में एम.एस-सी., जन्तु विज्ञान की प्रयोगशाला एवं शिक्षण कक्ष का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसके हस्तांतरण पश्चात महाविद्यालय में सत्र 2021-22 एम.एस-सी., जन्तु विज्ञान की कक्षाएं प्रारम्भ हो गयी हैं। महाविद्यालय में सत्र 2023-24 से कला वर्ग की शिक्षा प्रारम्भ होगी। महाविद्यालय में प्रयोगशालाओं में **LCD Projector** तथा स्मार्ट क्लास स्थापित हैं, जिनमें आधुनिक तकनीक से शिक्षण कार्य किया जाता है। छात्र-छात्राओं हेतु महाविद्यालय में कम्प्यूटर लैब स्थापित की गयी है। महाविद्यालय परिसर में व्याख्यान कक्ष CCTV कैमरे से सुसज्जित हैं। छात्र/छात्राओं हेतु पेयजल की व्यवस्था हेतु RO सहित वाटर कूलर लगाये गये हैं।

इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की धारा 2(एफ) तथा 12 (बी) में मान्यता प्राप्त है। यू0जी0सी0 की स्वायत्त संस्था नैक (NAAC) द्वारा महाविद्यालय को मूल्यांकित एवं प्रत्यायित किया गया है। बाराबंकी जिले का यह प्रथम महाविद्यालय है जिसको यह गौरव प्राप्त हुआ है।

डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से सम्बद्ध इस महाविद्यालय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित हैं:-

विज्ञान संकाय

सत्र 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू है।

<u>स्नातक स्तर</u> — गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान विषयों में कक्षायें संचालित हैं।

<u>स्नातकोत्तर स्तर</u> — सत्र 2007-08 से गणित विषय में तथा सत्र 2021-22 से जन्तु विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर कक्षायें संचालित की जा रही हैं।

कला संकाय

कला संकाय के अन्तर्गत सत्र 2023-24 से हिंदी, अंग्रेजी, समाज शास्त्र, इतिहास,अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा शिक्षाशास्त्र तथा शारीरिक शिक्षा विषयों की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।-

वाणिज्य संकाय

<u>स्नातक स्तर</u> — वाणिज्य वर्ग के समस्त ग्रुप।

<u>स्नातकोत्तर स्तर</u> — एम0 कॉम की कक्षाएं सत्र 2007-08 से संचालित की जा रही हैं।

प्रवेश एवं ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धित सामान्य निर्देश

1. सत्र 2025–26 के आवेदक इस प्रवेश निर्देश को भलीभांति ध्यान से समझ ले उसके उपरान्त ही आवेदन करें।
2. प्रवेश सम्बन्धित समस्त नवीनतम सूचनाओं हेतु आवेदक महाविद्यालय के प्रवेश पोर्टल **https://gpgchb.mycms.in/** को नियमित रूप से देखते रहें।
3. बी0ए0 / बीएससी0 / बी0काम0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन एडमिशन फार्म भरने के उपरान्त महाविद्यालय में कॉउसंलिग हेतु महाविद्यालय में सम्पर्क स्थापित करें। स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश सीटों की उपलब्धता के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।
4. एम0एससी (जन्तु विज्ञान एवं गणित) / एम0कॉम0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश स्नातक के तीनों वर्षों के कुल प्राप्तांको के आधार पर बने **मेरिट** पर होगा।
5. सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश औपबंधिक है। यदि कभी पाया जाता है कि आप पात्रता की शर्तो को पूरा नहीं करते है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। अतः प्रवेशर्थियों को सलाह दी जाती है कि समस्त शर्तो का आवेदन से पूर्व ही भलीभांति जाँच लें।
6. मेरिट सूची घोषित होने पर इसकी 01 प्रति महाविद्यालय की एडमिशन वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। मेरिट सूची न्यूज पेपर में प्रकाशित नहीं होगी।
7. प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण सम्बन्धित शासनादेश / नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु कमशः 21,2 तथा 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। आरक्षण का लाभ लेने हेतु प्रवेशार्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।
8. प्रवेश लेने के इच्छुक प्रवेशार्थियों को महाविद्यालय की एडमिशन वेबसाइट. **https://gpgchb.mycms.in/** पर जा कर पंजीकरण फीस 150/– देकर करना होगा, इसके बाद आवेदन भरना होगा। उसके उपरान्त डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की वेबसाइट **www.rmlauadm.edu.in** पर जा कर 100/– देकर **RMLAURN** कराना होगा। उसके उपरान्त **RMLAURN** नम्बर को महाविद्यालय की एडमिशन वेबसाइट. **https://gpgchb.mycms.in/** पर जा कर अपडेट कराना होगा।
9. बिना **RMLAURN** के एडमिशन प्रकिया सम्भव नहीं होगी।
10. अभ्यार्थियों के पास अपना व्यक्तिगत ईमेल आई0डी0 और मोबाइल नम्बर होना चाहियें जिससे प्रवेश सम्बन्धी सूचना समय से मिल सकें।
11. स्नातक प्रथम वर्ष में आवेदन हेतु इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा में सामान्य / ओ0बी0सी0 वर्ग के लिये 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है। जबकि अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये 36 प्रतिशत अंक अनिवार्य है। एक आवेदक द्वारा केवल एक ही पाठ्यक्रम हेतु आवेदन किया जा सकेगा। अतः पृथक–पृथक पाठ्यक्रम हेतु आवेदन के लियें पृथक–पृथक आवेदन कराना अनिवार्य होगा।
12. ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने इण्टर / समकक्ष परीक्षा किसी ऐसे संस्थान से की है जो भारत / उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्य नहीं है, वे महाविद्यालय की ऑनलाइन एडमिशन प्रकिया में सम्मिलित होने हेतु पात्र नहीं है।

13. ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने स्नातक परीक्षा किसी ऐसे संस्थान से की है जो यू0जी0सी0 द्वारा मान्य नहीं है, वे महाविद्यालय की ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु पात्र नहीं है।

14. **ऑनलाइन आवेदन करते समय वेबसाइट पर दिये हुये निर्देशों का पालन करें तथा चेक बॉक्स में "मैं सहमत हूँ" पर क्लिक करके आगे बढ़ें।**

15. ऑनलाइन आवेदन में अंकित फील्ड्स को अवश्य भरें। बिना 'अंकित फील्डस को भरे आवेदन सबमिट नहीं होगा।

16. अभ्यर्थी स्वयं की एवं अभिभावक की 50के0बी0 की स्कैन की हुई फोटो एवं हस्ताक्षर ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करेगा इसके लिए पूर्व से स्कैन करके अपने पास रखे।

17. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत उसको ध्यान से पढ़ ले तभी सबमिट करे, एक बार सबमिट करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।

18. त्रुटिपूर्ण आवेदन करने पर समस्त जिमेदारी अभ्यर्थी की होगी।

19. आवेदन करते समय अपना आधार नंबर अवश्य अपने साथ रखें।

20. **https://gpgchb.mycms.in/** पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए APPLY बटन पर क्लिक करके फीस का भुगतान करना होगा, उसके उपरांत फॉर्म भरता होगा। अगर किसी आवेदनकर्ता के पास इंटरमीडिएट/ समकक्ष/ स्नातक प्राप्तांक और **RMLAURN** उपलब्ध नहीं है तो वह UPDATE बटन पर क्लिक करके बाद में भी निर्धारित समान्तर्गत अपडेट कर सकता है। किसी भी दशा में बिना इंटरमीडिएट/ समकक्ष/ स्नातक प्राप्तांक और **RMLAURN** का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

21. आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी अपने आवेदन का 2 प्रतियों में प्रिंट आउट निकाल लेगा, इसको काउन्सलिंग के समय अपनी समस्त अंकतालिका एवं प्रमाणपत्र स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करेंगे। साथ में सभी अंक पत्र एवं प्रमाणपत्र की मूल प्रतियों अवश्य लायें।

22. अगर आवेदक आरक्षण और भारांक का लाभ लेना चाहता है तो काउन्सलिंग के समय सम्बंधित प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की दशा में लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

23. अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ.बी.सी. वर्ग का आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य होगा।

24. स्नातक में प्रवेश हेतु इंटरमीडिएट के उपरांत अधिकतम केवल 2 वर्षों का गैप अनुमन्य होगा। गैप वर्षों का कारण स्पष्ट करते हुए 10 रूपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा बनाया गया शपथ पत्र काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

25. स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु स्नातक के उपरान्त अधिकतम 02 वर्षों का गैप अनुमन्य होगा। इस महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को 05 प्रतिशत को भारांक दिया जायेगा।

26. प्रवेश के समय जमा किया गया समस्त शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

27. प्रवेश सम्बधित विवाद पर निर्णय प्रवेश समिति द्वारा लिया जायेगा, और यह निर्णय अंतिम होगा।

28. यदि कोई प्रवेशार्थी गलत सूचनाओं के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो उसका प्रवेश तथ्य पता चलते ही निरस्त कर दिया जायेगा।

29. 75% उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसा न होने की दशा में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों का विवरण

स्नातक

क्रम सं.	कक्षा	विषय	सीटों की संख्या	योग्यता
1.	बी. ए. (प्रथम सेमेस्टर)	हिंदी,अंग्रेजी, समाज शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षा शास्त्र तथा शारीरिक शिक्षा	480	इन्टरमीडिएट
2.	बी- एस. सी.	गणित वर्ग	60	इन्टरमीडिएट गणित से
		जीव विज्ञानं वर्ग	60	इन्टरमीडिएट जीव विज्ञानं से
3.	बी.काम.	------------------------------	60	इन्टरमीडिएट वाणिज्य या अर्थशास्त्र या गणित से

परास्नातक

क्रम सं.	कक्षा	विषय	सीटों की संख्या	योग्यता
1.	एम.काम.	--------------------	60	बी.काम.
2.	एम.एस-सी.	जंतु विज्ञान	40	बी.एस-सी. तृतीय वर्ष में जंतु विज्ञान
3.	एम.एस-सी.	गणित	60	बी.एस-सी. तृतीय वर्ष में गणित

स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. स्नातक प्रथम वर्ष में आवेदन हेतु इन्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा में सामान्य/ओ.बी.सी. वर्ग के लिए 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है। जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 36 प्रतिशत अंक अनिवार्य है।

2. स्नातक (बी.ए. बी.एस.सी., बी. काम.) प्रथम वर्ष प्रवेश के समय अभ्यर्थी को तीन मेजर (मुख्य) विषयों, एक माइनर एक अनिवार्य सहगामी (Co&Curricular) एवं एक रोजगारपरक (Vocational) विषय का चयन करना होगा तीनों मेजर विषय अपने संकाय के ही होंगे।

- बी.ए. हेतु माइनर विषय, अभ्यर्थी द्वारा चयनित मेजर तीन विषयों को छोड़ कर अन्य विषय उसी सकाय से माइनर के रूप में होंगे। उपरोक्त के अलावा वाणिज्य संकाय से "Introduction to Computer Application" माइनर विषय के रूप में उपलका है।
- बी.एस.सी. हेतु माइनर विषय, कला संकाय के सभी विषय और वाणिज्य संकाय से "Introduction to Computer Application" माइनर विषय के रूप में उपलका है।
- बी.काम. हेतु माइनर विषय, कला संकाय के सभी विषय और वाणिज्य संकाय से "Introduction to Computer Application" माइनर विषय के रूप में उपलब्ध है।
- अनिवार्य सहगामी (Co&Curricular) एवं एक रोजगारपरक (Vocational) विषय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विषय होगे।
- रोजगारपरक (Vocational) विषय की फीस अलग से महाविद्यालय में जमा होगी।

स्नातक (बीए) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु मेजर तीन विषयों का चयन नीचे दिए हुए विषयों से करना होगा, आवेदक को हर ग्रुप से एक विषय का चयन करना होगा।

1. हिंदी
2. अंग्रेजी

(हिंदी और अंग्रेजी विषय साथ में नहीं लिया जा सकता है)

3. समाजशास्त्र
4. शिक्षाशास्त्र
5. अर्थशास्त्र
6. इतिहास
7. राजनीतिशास्त्र
8. शारीरिक शिक्षा

नोट :–

- **किसी भी दशा में हिंदी और अंग्रेजी विषय साथ में नहीं लिया जा सकता है।**
- **काउन्सलिंग के वक्त सीटों की उपलब्धता के आधार पर विषय परिवर्तन एडमिशन कमेटी द्वारा किया जा सकता है।**

3. इस महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीण आवेदकों को 5% का अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा।

काउन्सलिंग के समय प्रवेश प्रक्रिया हेतु अनिवार्य प्रपत्र–

योग्यता सूची घोषित होने के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी। प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत सूचना वेबसाइट एवं महाविद्यालय के सूचना पट पर उपलब्ध रहेगी। काउन्सलिंग के समय आवेदक को निम्नलिखित प्रमाण पत्र साथ में लाने होंगे।

1. ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट स्वहस्ताक्षरित 2 प्रतियों में।
2. हाईस्कूल से लेकर अंतिम परीक्षा तक की मूल अंकतालिक एवं प्रमाण पत्र तथा स्वहस्ताक्षरित फोटोकॉपी 1 प्रति में।
3. अंतिम शिक्षण संस्था का ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (T.C.) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (C.C.) मूल रूप में।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति अन्य पिछडा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर होने का प्रमाण पत्र मूल रूप में एवं स्वहस्ताक्षरित फोटोकॉपी 1 प्रति में।
5. किसी भी प्रकार का आरक्षण एवं भारांक का लाभ तभी अनुमन्य होगा जब आवेदक द्वारा सम्बंधित प्रमाण पत्र मूल रूप एव स्वहस्ताक्षरित फोटोकॉपी 1 प्रति में उपलब्ध करवाए जायंगे ।
6. काउन्सलिंग के समय आवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा। ऐसा न करने पर अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
7. काउन्सलिंग के उपरांत दी हुई समय सीमा में फीस न जमा करने पर अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
8. दूसरे विश्वविद्यालय के छात्र, जिन्होंने स्नातकोत्तर स्तर पर आवेदन किया है उनको काउन्सलिंग के समय माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा
9. काउन्सलिंग के समय आवेदक को RMLAURN की फोटोकॉपी लगाना अनिवार्य होगा।

आरक्षण एवं भारण नीति

उर्ध्वाधर आरक्षण-

1. अनुसूचित जाति -21%
2. अनुसूचित जनजाति -2%
3. अन्य पिछड़ा वर्ग -27%

क्षैतिज आरक्षण-

1. आर्थिक रूप से कमजोर -10%(केवल सामान्य वर्ग हेतु)
2. विकलांग के लिए -3%
3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र / पुत्री / पौत्र / पौत्री के लिए - 2%
4. भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में अपंग रक्षाकर्मी के लिए तथा युद्ध में शहीद रक्षाकर्मियो के पाल्यों के लिए - 2%
5. कारगिल में शहीद / विकलांग सैनिको के आश्रित के लिए - 1%
6. कश्मीर विस्थापितों के लिए - 1%

भारण

1. उत्कृष्ट खिलाडी (राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अंतर्विश्वविद्यालीय खेल कूद प्रतियोगिता) व्यक्तिगत स्पर्धा में
   - प्रथम आने पर - 3%
   - द्वितीय आने पर -2%
   - तृतीय आने पर -1%
2. एन. सी. सी.
   - C - सर्टिफिकेट पर - 3%
   - B- सर्टिफिकेट पर -2%
   - एक वर्षीय प्रशिक्षण पर - 1%
3. एन. एस. एस.
   - 2 वर्ष का शिविर (240 घंटे) पर -2%

छात्रवृत्तियाँ

छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र प्रवेश होने के बाद समाज कल्याण विभाग बाराबंकी से प्राप्त निर्देशों के आधार पर महाविद्यालय में जमा करने होंगे। महाविद्यालय में निम्नलिखित छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है:-

(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति या निर्धन सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(ख) पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा।

(ग) उच्च शिक्षा निदेशालय एवं उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ।

सभी प्रकार की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर भरे जायेंगे।

छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु निम्न प्रपत्रों की आवश्यकता होगी:-

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र तथा सामान्य निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत होना चाहिए। महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात **सभी छात्र/छात्रायें सामान्य निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से बनवा लें।**

(2) माता/पिता अथवा अभिभावक का नवीनतम आय प्रमाण पत्र जो तहसीलदार द्वारा निर्गत किया गया हो।

(3) पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ।

(4) जिला बाराबंकी के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलकर खाता संख्या छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य है।

(5) शुल्क प्रतिपूर्ति के फार्म भी छात्रवृत्ति फार्म के साथ ही जमा किये जायेंगे।

(6) समस्त छात्र/छात्राओं को केवल एक ही छात्रवृत्ति मिलेगी। सभी छात्र/छात्रायें एक से अधिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन न करें। छात्रवृत्ति के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। शासन द्वारा समय-समय पर आवेदन प्रपत्र में परिवर्तन होता रहता है। ऐसी दशा में छात्र को पुनः आवेदन पत्र भरना पड़ सकता है।

क्रीड़ा एवं खेलकूद

युवाओं के शारीरिक सौष्ठव एवं व्यक्तित्त्व विकास में खेल-कूद की एक विशेष भूमिका है। इसके साथ ही क्रीडा सम्बन्धी गतिविधियाँ ऊर्जावान नौजवानों को एक सही दिशा प्रदान कर उनमें अनुशासन का भाव जगाती है इन्हीं बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के समग्र विकास हेतु क्रीडा सम्बन्धी समस्त सुविधायें महाविद्यालय में विद्यमान है। साथ ही एक विशाल क्रीडांगन भी उपलब्ध है।

पुस्तकालय, वाचनालय एवं बुक बैंक

महाविद्यालय में एक ई-पुस्तकालय उपलब्ध है जिसमें नियमित रूप से छात्र/छात्राओं को पुस्तकें निर्गत की जाती हैं। साथ ही छात्र/छात्राओं को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, शैक्षिक एवं साँस्कृतिक परिवर्तनों से अवगत कराने हेतु एक वाचनालय भी है जिसमें नियमित रूप से समाचार पत्र एवं पत्रिकायें मंगायी जाती हैं।

विद्यार्थियों को निर्गत पुस्तकें निर्धारित 15 दिनों के अन्दर पुस्तकालय में जमा करनी होंगी, अन्यथा प्रति पुस्तक प्रतिदिन की दर से एक रूपया अर्थदण्ड देय होगा। बुक बैंक से निर्धन छात्र/छात्राओं को पूरे सत्र के लिए पुस्तके निर्गत की जाती हैं, परन्तु परीक्षा से पहले पुस्तकों को वापस करना अनिवार्य है।

महाविद्यालय पत्रिका

महाविद्यालय द्वारा वार्षिक पत्रिका **''पारिजात प्रभा''** का प्रकाशन किया जाता है जिसमें महाविद्यालय परिवार एवं विद्यार्थियों की स्वरचित रचनाएं समसामयिक विषयों के लेख, व्याख्यान तथा महाविद्यालय की समस्त शिक्षणेत्तर गतिविधियां, कार्यकलापों का विवरण, तस्वीरों के माध्यम से मुद्रण कर प्रकाशित किया जाता है। **''पारिजात प्रभा''** में प्रकाशन हेतु इच्छुक छात्र/छात्रायें अपने लेख, कवितायें आदि मुख्य सम्पादक के पास जमा कर सकते हैं।

विभागीय परिषदें एवं समारोह

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष विभागीय परिषद का गठन किया जाता है जिनके द्वारा समय-समय पर छात्रों की परस्पर वाद-विवाद, निबन्ध, चार्ट इत्यादि प्रतियोगितायें करायी जाती है महाविद्यालय में सम्पादित विभिन्न क्रिया-कलापों में स्थान पाये छात्र/छात्राओं को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कृत किया जाता है तथा प्रत्येक संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र/छात्रा को भी पुरस्कृत किया जाता है। वार्षिकोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है।

इकोरेस्टोरेशन क्लब

शैक्षिक सत्र 2006-07 से महाविद्यालय में एक इकोरेस्टोरेशन क्लब की स्थापना की गई है। इस क्लब की देख-रेख एक वरिष्ठ प्राध्यापक द्वारा की जाती है तथा महाविद्यालय के छात्र/छात्रायें भी नियमित रूप से इसके क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। क्लब की स्थापना छात्र/छात्राओं में पर्यायवरण जागरूकता के प्रसार के उद्देश्य से की गई है। साथ ही इसी क्लब द्वारा महाविद्यालय प्रागंण विकास सम्बन्धी कार्य भी किया जाता है। इस क्लब के तत्वाधान में क्षेत्र की विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

कैरियर काउन्सलिंग क्लब

देश में तेजी से हो रहे शैक्षिक एवं तकनीकी विकास के दौर में यह आवश्यक है कि छात्र/छात्रायें अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी भविष्य की योजनायें बनायें, इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इस क्लब की स्थापना शैक्षिक सत्र 2006-2007 में की गई। समय-समय पर विशेषज्ञों को आमंत्रित कर छात्र/छात्राओं को उनके भविष्य निर्माण सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।

उपस्थिति एवं अनुशासन

1. उ.प्र. शासन एवं डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के आदेशानुसार महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
2. **महाविद्यालय परिसर की स्वच्छता को बनाये रखना प्रत्येक छात्र-छात्रा का कर्तव्य है। किसी प्रकार की गन्दगी फैलाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।**
3. **प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन निर्धारित वेशभूषा में अपने परिचय-पत्र के साथ महाविद्यालय आना होगा।**
4. विद्यार्थियों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को परिसर में लाना एवं उनके साथ परिसर में घूमना दण्डनीय अपराध है।
5. विद्यार्थी प्राचार्य की अनुमति के बिना परिसर में कोई भी गोष्ठी आयोजित नहीं करेंगे।
6. विद्यार्थियों को परिसर में अस्त्र-शस्त्र, रेडियो-टेप लाना अथवा शोरगुल करना वर्जित है।
7. **महाविद्यालय परिसर में धूमपान करना, पान मसाला खाना या किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री के सेवन पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है।**

8. छात्र अपने वाहन को केवल साइकिल स्टैण्ड पर ही खड़ा करें।

9. छात्र/छात्रायें अपनी किसी भी समस्या के लिए सम्बन्धित प्रभारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

10. महाविद्यालय में मोबाइल फोन को लाना/प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है। प्रत्येक छात्र/छात्रा से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय के नियमों का पालन कर अनुशासन प्रिय आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करें, जिससे महाविद्यालय की गरिमा पर किसी भी प्रकार की आंच न आये।

प्रवेश के उपरान्त समस्त छात्र/छात्रायें www.amanmovement.org अथवा www.antiragging.in पर आनलाइन अण्डरटेकिंग फार्म भरकर उसकी एक प्रति महाविद्यालय में जमा करेंगे।

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग दण्डनीय अपराध है। यदि कोई छात्र/छात्रा रैगिंग में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

परीक्षा

सेमेस्टर परीक्षा विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाती हैं। महाविद्यालय नकलविहीन केन्द्र है। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। जिन छात्र/छात्राओं की उपस्थिति 75% से कम होगी उनका नाम विश्वविद्यालय भेज दिया जायेगा। प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षायें लिखित प्रश्न पत्रों से पहले या बाद में करायी जाती हैं।

किसी भी तिथि के परिवर्तन की सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी। सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

वेबसाइट – https://gdcharakh.in/

महाविद्यालय परिवार

क्रमांक	प्राध्यापक का नाम		
1.	प्रो0(डॉ0) राजेश कुमार चतुर्वेदी (इतिहास विभाग)	–	प्राचार्य
2.	प्रो0(डॉ0) मंजरी नौटियाल	–	जन्तु विज्ञान विभाग
3.	श्रीमती रेनू मौर्या	–	शारीरिक शिक्षा विभाग
4.	डॉ0 धर्मवीर	–	वाणिज्य विभाग
5.	श्रीमती विजय लक्ष्मी यादव	–	राजनीति शास्त्र विभाग
6.	डॉ0 जयप्रकाश पटेल	–	भौतिक विज्ञान विभाग
7.	डॉ0 कल्पना वर्मा	–	जन्तु विज्ञान विभाग
8.	श्री अखिलेश कुमार राय	–	गणित विभाग
9.	डॉ0 शिप्रा राय	–	अर्थशास्त्र विभाग
10.	डॉ0 सुनील कुमार	–	रसायन विज्ञान विभाग
11.	डॉ0 आलोक	–	वनस्पति विज्ञान विभाग
12.	डॉ0 राजीव रत्न साहू	–	अग्रेंजी विभाग
13.	डॉ0 अजीत कुमार सिंह	–	हिन्दी विभाग
14.	श्री रामलाल	–	समाजशास्त्र विभाग
15.	श्रीमती नीलमणि त्रिपाठी	–	शिक्षाशास्त्र विभाग

शिक्षणेत्तर कर्मचारी

1. श्री रूपेश सिंह	–	वरिष्ठ सहायक
2. श्री बलराज	–	प्रयोगशाला परिचर

संत कवि बाबा बैजनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

हरख, बाराबंकी

Undertaking/Declaration 2024-25

I, ... S/o or D/o Shri.. here by declare that:-

1. The facts given by me in the admission form are true to the best of my knowledge. I declare that I have not concealed any fact which is important to be disclosed by a bonafide student of the University/ College/ Institution. I understand that concealment of facts is punishable at any point of time.

2. I agree to abide by the rules and regulations of the University/ College/ Institution applicable from time to time and will not indulge in any activity which brings disrepute to my College/ Institution and University. I also declare that I will not pursue for appearing in University examination if my attendance falls below 75%.

3. I understand that ragging as defined by the authorities like Hon'ble Supreme Court/ Hon'ble High Court/ Central Govt./ State Govt./ UGC/ University etc. is a punishable offence. I am fully aware of the consequences of my indulgence in any sort of ragging and hence I will not involve myself in any act of ragging of and off campus of the University/ College/ Institution.

4. I also understand, in case, I am found guilty of my such activity, narrated in the foregoing points, I will be liable for punishment which may be extent of my expulsion/ rustication from the University/ College/ Institution/ Including initiation for legal criminal proceedings against me.

Signature of the Student :..

Name of Student :..

Father's Name :..

Course of Study :..

Year of Admission :..

The above named Candidate is Son/ Daughter/ Daughter-in-law/ Son-in-law/ Wife/ Ward of the undersigned. The Undersigned as parent/ guardian owes whole responsibility to the above declaration signed by the above named student. In case, the above named student is found guilty of any unlawful activity/ ragging done by him/her/, the undersigned has no objection if he/she is blacklisted/ debarred/ expelled/ rusticated and/or any legal criminal proceeding is initiated against him/her by the State/ University/College/ Institution at any stage during his/her course of study.

As parent/ guardian, the undersigned himself/herself will be agreeable to any punitive action taken against the above named student by the State/ University/ College/ Institution as per statutory provisions.

Signature of Parent/Gauradian :..

Name of Parent/ Gauradian :..

Relation with the Student :..

Date :..

Place :..

कार्यालय-ज्ञाप-संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रारूप-I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम ....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

दिनांक-...............................

प्रमाण-पत्र संख्या-...............................

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....

पुत्र/पति/पुत्री .... ग्राम/कस्बा ....

पोस्ट ऑफिस .... थाना ....

तहसील .... जिला .... राज्य ....

पिन कोड .... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय रु. 8.00 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परसम्पत्ति नहीं है-

i. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

iii. अधिसूचना नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

iv. अधिसूचना नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचना नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर .... (कार्यालय की मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

कार्यालय-ज्ञाप-संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रारूप-II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा-पत्र

स्वयं घोषणा-पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी ....
ग्राम/कस्बा .... पोस्ट ऑफिस ....
थाना .... ब्लाक .... तहसील ....
जिला .... राज्य .... में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं .... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु. .... (शब्दों में).. है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) .... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषण करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है :-

i. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
iii. अधिसूचना नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
iv. अधिसूचना नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्णरूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन-पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण-पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण-पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट :- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम

स्थान :
दिनांक :

गैप इयर हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप

(10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं...पुत्री / पुत्र श्री..

पता ....

.... जो आपके महाविद्यालय, संत कवि बाबा बैजनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरख, बाराबंकी) में कक्षा .... में प्रवेश लेना चाहता हूँ / चाहती हूँ।

2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ / करती हूँ कि मैंने इण्टर / बी.ए. / बी.एस.सी. / बी.काम. प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष .... में उत्तीर्ण की है इसके बाद वर्ष .... से वर्ष .... तक मैंने किसी भी अन्य संस्थागत विद्यालय / महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है। मैं इस अन्तराल में .... कारण / कारणों से प्रवेश नहीं ले सका था / सकी थी।

3. यदि मेरा उक्त बयान / घोषणा असत्य किसी अंश तक मिथ्या पायी जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाये। मेरे वि—द्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वतन्त्र होगा।

4. उक्त शपथ पूर्वक बयान के लिए ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :

तिथि :

प्रार्थी / अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थी का नाम ....

पिता का नाम ....

पता ....

....